नं. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
30/07/2025	वकुलाय उपस्थित। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 सुगना देवी एवं अप्रार्थी संख्या 3 सुशीला की ओर से निवेदन किया कि अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06/09/2023 को मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 03/2019 निर्णय 19/1/2021 मूल पत्रावली तलब करने का पेश किया था जिस पर बिना प्रार्थना के अधिवक्ता का जवाब लिये तथा बिना बहस सुने उक्त आवेदन को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया न्यायालय हाजा के द्वारा विधि विरूद्ध रूप से आदेशिका में विधि के प्रावधानों के विपरित अप्रार्थी संख्या 02, 03 का प्रार्थना पत्र तलब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, पत्रावली तलब का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 को जवाब का अवसर नहीं दिया गया तथा विधि अनुसार प्रार्थना पत्र का जवाब का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है तथा जवाब के अवसर के पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थीया के बयान कलमबद्ध किये जाने आवश्यक थे तथा उसी रोज विधि के प्रावधानों को ताक में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित अप्रार्थीगण का जवाब लिये बिना निर्णय कर दिया जो रिव्यू करने योग्य है। प्रार्थीया को सामाजिक वृद्धावस्था पेशन 1,000/— अक्षरे एक हजार रूपये प्रतिमाह प्राप्त होती हैं तथा प्रार्थीया के कुल 17,000/— अक्षरे सतरह हजार रूपये प्राप्त होता है। जिससे प्रार्थीया अपना घर खर्चा एवं भरण पोषण आराम से चलाती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का पुत्र जो अपना हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान कर अपनी माता प्रार्थीया को साथ लेकर पिछले 3 वर्षो से ग्राम खैरवा चबेरा आसन की बावड़ी तहसील व जिला पाली राजस्थान में निवास करता हैं तथा जिसके पास ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर से खेतीबाड़ी कर महिने के करीबन 25—30 हजार रूपये आसानी से कमा लेते हैं। यह सब तथ्य अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ ठोस दस्तावेजो के साथ पत्रावली पर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश करने हेतु उक्त आदेश रिव्यू करने योग्य है। प्रार्थीया पिछले 3 वर्षो से सोजत सिटी में कही पर भी निवास नही कर रही थी वह अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ अपने पीहर खैरवा में निवास कर रही है। इसलिये बिना बिनायदावा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तंग परेशान करने हेतु पेश किया जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 सुगना स्वयं विधवा है इसके पति का स्वर्गवास हो जाने से सदमा के कारण से कोई कार्य नहीं कर सकते है तथा उसकी कोई आय का स्त्रोत नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 3 सुशीला अक्सर बीमार रहती है तथा अपने बच्चो की देखभाल करती है। वह कोई कृषि कार्य नहीं करना जानती है। इसलिये उक्त आदेश रिव्यू करने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अनवान प्रकरण के प्रार्थना पत्र को रिव्यू फरमाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में श्रीमान न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही निर्णय दिनांक 06.09.2023 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पारित किया गया। प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि भरण पोषण की कार्यवाही एक फौजदारी कार्यवाही है और फौजदारी कार्यवाहीयों में रिव्यू/पुर्नविलोकन का कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रार्थीया चन्दनाई अपने पुत्र व पुत्रियों से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार हैं। श्रीमान न्यायालय के आदेश व वसूली वारण्ट जारी होने के बाद भी भरण पोषण की राशि जमा नहीं करवायी गई हैं। कानूनन रिव्यू प्रा0पत्र पेश करने की म्याद निर्णय दिनांक से 30 दिवस के भीतर होती है, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा0पत्र करीब 1 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है तथा देरी के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे भी उक्त प्रा0पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय के निर्णय लेखन में प्रत्यक्ष त्रुटि परिलक्षित हुई हो तथा प्रार्थी का उक्त रिव्यू प्रा0पत्र 1 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है, जो कानूनन् म्याद बाहर हैं तथा अभिभावकों और वरिष्ठ नागरीकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में भी आदेश को रिव्यू किये जाने के कोई विधिक प्रावधानों नहीं होने से प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी.
सोजत (राज.)